मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 7/15 /चार (भ0 नियंत्रण) दिनांक : 18-5-2018

मै0 प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा0 लि0
द्वारा श्री विजयपाल यादव,
निवासी–110बी, कृष्णा प्लाजा, गढ रोड,
मेरठ।

शासन शुल्क सहित

आपके पत्र दिनांक 21.03.2018 संशोधित मानचित्र सं0–07/15 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित 'तलपट' मानचित्र को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम–लखवाया (कृष्णा प्लाजा) मेरठ के भूखण्ड/भवन /खसरा सं0–159पार्ट, 161पार्ट व 293पार्ट पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग मे लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एव विकास अधिनियम 1973 की धारा–26 के आधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एव विकास अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नही होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम–21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेगें।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने एवं या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
12. उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 10.11.2016 के अनुपालन हेतु दी गई शर्तें, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का पालन करना होगा। स्थल पर निर्माण के दौरान जो भी भवन सामग्री एकत्रित है, निर्माण के समय धूल/डस्ट न उड़ पाये, इसके लिए उसको सही प्रकार से ढके जाने एवं निर्माण के दौरान जो भी सामग्री ट्रकों के माध्यम से आती है, उसको भी सही प्रकार से ढक कर लाये।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता प्रवर्तन, जोन–क्षेत्रीय को प्रेषित।

18/5/18
मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

Scanned by CamScanner